कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–34/2021– 771 **दिनांक :** 24/11/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/ धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योंजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य, बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य हेतु **रू0 498.602 (चार करोड़ अन्ठानबे लाख साठ हजार दो सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–33/2020–15/स्वी0 व0प0 दिनांक 22.10.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0–32/2020–35/आ0 व0प0 दिनांक 26.10.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–40 सिल्विकल्वर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 498.602 (चार करोड़ अन्ठानबे लाख साठ हजार दो सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता हैः–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060178940010103	400.027
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060178940010323	98.575
कुल :–		**498.602**

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1(क) एवं 1(ख)** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2(क) एवं**

2(ख) पर, स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3(क) एवं 3(ख)** पर तथा ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060178940010103 एवं 19S24060178940010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरु करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल–मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे0 लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाऐगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाऐगा।

5. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोडकर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

7. वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों का सघनता (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का तुलनात्मक शोध अध्ययन किया गया है, जिसकी Soft copy इस पत्र के साथ संलग्न है। बाँस वनों में कंजेशन हटाने एवं वन वर्द्धन कार्य शोध में वर्णित Model-III के अनुसार ही किया जायेगा। इस मॉडल पर कार्य करते समय यदि कोई कठिनाई आए तो मुख्य वन संरक्षक, शोध से संपर्क कर मार्ग निदेश माँगा जा सकता है।

8 Silviculture operation की योजना के अंतर्गत बाँस बखार की सफाई के लिए व्यय हेतु एक हे0 में 200 बखार की संख्या मानक मानी गई है एवं उसी अनुरूप राशि का व्यय किये जायेंगे।

9. इस योजना में प्राकृतिक रुप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

14. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।

15. (i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :–

(ii) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(iii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iv) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(v) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(vi) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vii) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(viii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

16. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2021–22 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

17. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते/डाकघर खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद (CASH) भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Invome Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

18 **(i)** मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से

विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

19. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वितीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

22. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

23. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

25. कोषागार से निकासी के संबंध में समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

26. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–34/2021–** 771 दिनांक–24/11/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ चतरा/ हजारीबाग/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–34/2021–** 771 दिनांक–24/11/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/ धनबाद/ गिरिडीह/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक—1(क)

वित्तीय वर्ष 2021—22 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू—संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021—22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			40472.90	**13243.14**	**53716.04**
(क)	बोकारो रीजन				
1	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	120	48.567	15.892	64.459
2	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	100	40.473	13.243	53.716
3	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	123	49.782	16.289	66.071
	योगः—	**343**	**138.822**	**45.424**	**184.246**
(ख)	हजारीबाग रीजन				
4	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	150	60.709	19.864	80.573
5	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	50	20.236	6.622	26.858
6	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	100	40.473	13.243	53.716
7	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	50	20.236	6.622	26.858
	योगः—	**350**	**141.654**	**46.351**	**188.005**
	कुल योगः—	**693**	**280.476**	**91.775**	**372.251**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1(ख)

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं साम्रग्री	कुल
			29887.68	**1700.00**	**31587.68**
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	100	29.888	1.700	31.588
2	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	300	89.663	5.100	94.763
कुल योग		**400**	**119.551**	**6.800**	**126.351**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झाखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 311.33 कार्य दर प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 311.33						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	933.99	0.00	933.99	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)	हे0	30	9339.90	0.00	9339.90	इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संपूर्ण स्थल की विडीयोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच घेरान अथवा पत्थर घेरान किया जायेगा (i) ट्रेंच घेरान– ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी0, गहराई 1.22 मी0, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान– ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी, ऊँचाई 1.00 मी0 (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे0 औसतन 6 चेन	12	3735.96	11782.74	15518.70	प्रति हे0 ट्रेंच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भुगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त ट्रेंच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू0 मी0 अधिकतम 200 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	20	6226.60	0.00	6226.60	औसतन 200 पौधे प्रति हे0 रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पुर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य – कंटूर ट्रेंच – 50, कंटूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढ़ाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोडनी कर रखा जाना।		40	12453.20	500.00	12953.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रेन्च के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे0	6	1867.98	0.00	1867.98	नोट देखें
7	सिल्ट डिटेन्शेन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेन्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	15	4669.95		4669.95	नोट देखें
8	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।		2	622.66	960.40	1583.06	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
9	वनों की सुरक्षा		2.00	622.66	0.00	622.66	
	योग–		**130.00**	**40472.90**	**13243.14**	**53716.04**	

D:\2021-22\Development\Sub-Allotment\Silvicultural Operation\Advance Work\Silviculture Operation WP

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(B)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 358 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	716.00	640.00	1356.00	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1575.20	0.00	1575.20	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे0	5	1790.00	0.00	1790.00	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे0	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1432.00	0.00	1432.00	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे0 तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	2613.40	0.00	2613.40	ट्रेन्च घेरान की मरम्मति
	योग–		**22.70**	**8126.60**	**1140.00**	**9266.60**	
(C)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 412 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	3007.60	0.00	3007.60	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी / कॉपिस / कटबैक / सिंगलिंग
	योग–		**7.30**	**3007.60**	**0.00**	**3007.60**	
(D)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 473 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	3452.90	0.00	3452.90	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी / कॉपिस / कटबैक / सिंगलिंग
	योग–		**7.30**	**3452.90**	**0.00**	**3452.90**	
	सकल योग –		**167.30**	**55060.00**	**14383.14**	**69443.14**	

नोटः–

1. प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
2. इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2(ख)

"सिल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना" के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन–वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर – 311.33 रू0

प्रति 200 बांस बखार (मानक संख्या प्रति हे0)

(राशि रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2021–22 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 311.33					
1	सर्वे, सीमांकन एवं बखार का नंबरिंग	3	933.99	0.00	933.99	
2	बाँस बखारों (Clumps) की सफाई एवं Silviculturially avaliable बाँसों का विदोहन कार्य (200 बखार प्रति हे0 की मानक संख्या से)	40	12453.20	200.00	12653.20	बड़े बाँस बखारों के सुगम विकास हेतु आवश्यकतानुसार बखार को दो या अधिक भाग में विभक्त करना।
3	वनों में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई, 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) एवं स्थल से सफाई किए गए बांसों को हटाना	10	3113.30	0.00	3113.30	
4	बखारों के चारों ओर 1.5 फीट गोलाई में निकोनी एवं मिट्टी को हल्का करना तथा खाद डालना	20	6226.60	1500.00	7726.60	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
5	राइजोम प्रिजरवेशन हेतु बखारों में कोड़नी/निकोनी क्षेत्र के बाहर 1 फीट गोलाई में मिट्टी लेकर बखारों पर चढ़ाना	20	6226.60	0.00	6226.60	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
6	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	3	933.99	0.00	933.99	सफाई के दौरान निकले राइजोम को उन खाली स्थलों पर लगाना, जहाँ बाँस बखारों की संख्या 200 प्रति हे0 से कम है।
	कुल	**96**	**29887.68**	**1700.00**	**31587.68**	
B	वित्तीय वर्ष 2022–23 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 358 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए					
1	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	12	4296.00	0.00	4296.00	
	कुल	**12**	**4296.00**	**0.00**	**4296.00**	
	सकल योग –	**108**	**34183.68**	**1700.00**	**35883.68**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–3 (क)

वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना'' (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
(क)	बोकारो रीजन							
1	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	पेटरवार	पेटरवार	झुझको	पेटरवार–48	N23°42'39" E85°57'48"	1121, 1144, 1142, 1143, 1120, 1119, 1021, 1150	40
		पेटरवार	पेटरवार	चरगी	पेटरवार–16	N23°35'21" E85°48'38"	823, 829, 836, 837, 852, 853	40
		पेटरवार	जरीडीह	भस्की	जरीडीह–161	N23°30'23" E85°58'11"	658, 02, 202, 189, 194, 552	40
							योगः–	**120**
2	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	शहरी वानिकी प्रक्षेत्र, धनबाद	झरिया	परघा	झरिया–36	N23°45'54.32" E86°29'27.65"	202, 261, 334	50
		टुण्डी प्रक्षेत्र	टुण्डी	टुण्डी पहाड़ (चकामानपुर के पास)	टुण्डी–132	N23°58'39" E86°24'13"	517	50
							योगः–	**100**
3	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	गावां	गावां	तिसरो	गावां–52	N24°39'49.4" E86°05'28.3"	5, 10, 16, 9, 36, 50, 2, 8	43
		डुमरी	डुमरी	टेन्गराकला	डुमरी–149	N23°55'46" E85°59'49"	1, 2, 23, 24, 25, 37, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 93, 103, 156, 101, 211, 223, 232	40
		पारसनाथ	डुमरी	भागाबांध	डुमरी–74	N24°019637 E86°102256	1, 47, 25, 73, 45, 31, 71, 79, 61, 62, 62, 283	40
							योगः–	**123**

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
(ख)	हजारीबाग रीजन							
4	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	प्रतापपुर	प्रतापपुर	धरधरी	प्रतापपुर–87	N24°18'04.6" E84°34'49.2"	2, 3, 15, 16, 23	50
		राजपुर	कान्हाचट्टी	इटवानी	चतरा–36	N24°18'57" E85°03'10"	194	50
		हंटरगंज	हंटरगंज	सागासोत	हंटरगंज–02	N24°26'36" E84°41'21"	2P, 3P, 4P, 11	50
							योगः–	150
5	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	डोमचांच प्रक्षेत्र	मरकच्चो	डगरनवां	मरकच्चो–21	N24°29'48.11" E85°50'55.68"	270, 281, 338, 340	50
							योगः–	50
6	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	दारु	सदर	रेवार	हजारीबाग–230	N23°55.678' E85°27.312'	141, 605, 606, 612, 621, 631	50
		बगोदर	बगोदर	धरगुल्ली	बगोदर–05	N23°8.397' E85°43.508'	6, 2066, 2080, 2466, 2506, 2528, 2525, 2533, 2324, 2534, 2535, 2545, 2546	50
							योगः–	100
7	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	बड़कागाँव वन प्रक्षेत्र	बड़कागाँव	कांडतरी	बड़कागाँव–67	N23° E85°	965, 966, 3545, 3546, 3547, 3548, 1095, 1091, 1094, 1087	50
							योगः–	50
							कल योगः–	693

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–3(ख)

वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2022–23 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना'' (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन–वर्द्धन कार्य का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	कुन्दा	कुन्दा	सरजामातु	प्रतापपुर–138	N24°14'32" E84°37'14"	5, 9	50
		हंटरगंज	हंटरगंज	सजनी	हंटरगंज–278	N24°15'43" E84°43'23"	495P, 478, 482, 591, 489	50
							योगः–	**100**
2	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	शहरी वानिकी प्रक्षेत्र, धनबाद	धनबाद	धैया	धनबाद–06	N23°48'5391" E86°26'17.31"	1, 6, 7, 8, 11, 67	30
		तोपचाँची प्रक्षेत्र	तोपचाँची	कुड़मो	तोपचाँची–53	52'45.47"N23° E86°12'01.39"	1518	35
		तोपचाँची प्रक्षेत्र	बाघमारा	चुंगी	तोपचाँची–191	N23°53'53.73" E86°19'28.58"	1P	35
		टुण्डी प्रक्षेत्र	टुण्डी	गादी टुण्डी पहाड़	टुण्डी–118	N23°58'29" E86°28'59"	710	50
		टुण्डी प्रक्षेत्र	टुण्डी	टुण्डी पहाड़ (जामकोल के पास)	टुण्डी–132	N23°58'13" E86°24'16"	517	50
		टुण्डी प्रक्षेत्र	टुण्डी	भगुडीह पहाड़	टुण्डी–89	N23°59'28" E86°25'12"	53	45
		टुण्डी प्रक्षेत्र	टुण्डी	टुण्डी पहाड़ (खरियोटाँड के पास)	टुण्डी–132	N23°58'19.5" E86°29'20.9"	850	25
		टुण्डी प्रक्षेत्र	पूर्वी टुण्डी	भुईयानावाटाँडत्र	टुण्डी–253	N23°53'58" E86°34'02"	1	30
							योगः–	**300**
							सकल योगः–	**400**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-34/2021/771 दिनांक - 24-Nov-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59437	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	4,856,700.00 रुपये अडतालीस लाख छप्पन हजार सात सौ
2	S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59438	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	13,013,600.00 रुपये एक करोड तीस लाख तेरह हजार छः सौ
3	S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59440	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	4,978,200.00 रुपये उनचास लाख अठहत्तर हजार दो सौ

योग: 22,848,500.00

रुपये दो करोड अठाइस लाख अडतालीस हजार पॅाच सौ

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

59.97.146.192

Run Date: 24/11/2021

पत्र संख्या - 01/YB-34/2021/771 दिनांक - 24-Nov-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्वरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59441	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	9,059,700.00 रुपये नब्बे लाख उनसठ हजार सात सौ
5	S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्वरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59444	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	2,023,600.00 रुपये बीस लाख तेइस हजार छः सौ
6	S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्वरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59445	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	4,047,300.00 रुपये चालीस लाख सैतालीस हजार तीन सौ

योग: रुपये तीन करोड उन्नासी लाख उन्नासी हजार एक सौ 15,130,600.00

क्रमिक योग: 37,979,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-34/2021/771 दिनांक - 24-Nov-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59447	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	1,719,600.00 रुपये स त्र ह लाख उन्नीस हजार छः सौ
8	S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59448	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	304,000.00 रुपये तीन लाख चार हजार
9	S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59450	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,589,200.00 रुपये पंद्रह लाख नवासी हजार दो सौ

योग: 3,612,800.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड पंद्रह लाख इनकानवे हजार नौ सौ 41,591,900.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्वरल आॅपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59452	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,834,300.00 रुपये अठारह लाख चौतीस हजार तीन सौ
11	S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्वरल आॅपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59454	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,628,900.00 रुपये सोलह लाख अठाइस हजार नौ सौ
12	S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्वरल आॅपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59455	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,156,400.00 रुपये इक्कीस लाख छप्पन हजार चार सौ

योग: 5,619,600.00

रुपये चार करोड बहत्तर लाख ग्यारह हजार पाँच सौ

क्रमिक योग: 47,211,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59456	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ
14	S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59457	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
15	S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	59458	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ

योग: 2,648,700.00

रुपये चार करोड अठानवे लाख साहठ हजार दो सौ

क्रमिक योग: 49,860,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI